न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 88/2023 निर्णय दिनांकः 12.08.2024

ऑनलाईन जीसीएमएस नम्बर 2023/164

रतनलाल उम्र 50 वर्ष पुत्र जोराराम जाति जाट निवासी उदरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—प्रार्थी—

बनाम

बेगादेवी पत्नी परमाराम जाति जाट निवासी उदरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—अप्रार्थी—

उपस्थितिः—

1. श्री राधेश्याम दर्जी अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री बाबूलाल दर्जी अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1324 तादादी 4.1670 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 836 तादादी 0.2400 हैक्टेयर (गै. मु.) व खसरा नम्बर 837 तादादी 0.2200 हैक्टयर रोही उदरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। अप्रार्थिनी की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1233/839 तादादी 5.3100 हैक्टेयर वाकेरोही उदरासर में स्थित है। अप्रार्थिनी का उक्त खेत प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 837 के दक्षिणी तरफ सींवा जोड़ स्थित है। अप्रार्थिनी ने प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 837 की सम्पूर्ण 0.2200 हैक्टेयर भूमि को धीरे धीरे अपने खेत खसरा नम्बर 1233/839 की सीमां में मिला लिया यानि खसरा नम्बर 837 व 1233/839 के मध्य की सीमां को हटाकर अप्रार्थिनी ने खसरा नम्बर 837 की सम्पूर्ण कृषि भूमि पर कब्जा कर लिया। प्रार्थी ने अप्रार्थिनी को कब्जा हटाने का निवेदन किया तो अप्रार्थिनी ने प्रार्थी को कहा कि आप हल्का पटवारी से मेरे खेत व आपके खेत एवं आस पड़ौस के खेतों का सीमांज्ञान करवा लो, अगर मेरे खेत खसरा नम्बर 1233/839 में आपके खेत खसरा नम्बर 837 की जमीन दबी हुई पाई जावेगी तो मैं तुरन्त ही हल्का पटवारी के समक्ष आपकी भूमि छोड़कर नई सीमां कायम कर लूंगी। प्रार्थी ने अपने खेत खसरा नम्बर 837 का सीमांज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार महोदय श्रीडूंगरगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर श्रीमान तहसीलदार महोदय ने सीमांज्ञान का आदेश प्रदान किया। दिनांक 11.04.2022 को आदेश क्रमांक सम/1063—1065 दिनांक 07.04.2022 की पालना में पटवारी हल्का उदरासर श्रीमती इन्दूबाला व पटवारी हल्का आडसर जयप्रकाश द्वारा मौके पर जाकर खेत खसरा नम्बर 1324/836, 837, 834, 835, 838 रोही ग्राम उदरासर का मौके पर खातेदारों व उपस्थितजनों के समक्ष राजस्व रिकार्ड, नक्शा सीट व जरीब व जी.पी.एस. की सहायता से सीमांज्ञान करवाया। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 837 तादादी 0.2200 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि पर अप्रार्थिनी के उक्त खसरा नम्बर 1233/839 में दबी हुई पाई गई जिसकी सूचना हल्का पटवारी ने अप्रार्थिनी को उनके समक्ष सीमांज्ञान कर दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.03 12:43:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

गई व प्रार्थी की भूमि को अप्रार्थिनी ने दबा रखी है वो खाली कर कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द करने, मौके पर पत्थरगढ़ी करने व सीमांज्ञान रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने को कहा तो अप्रार्थिनी ने मौका पर सीमांज्ञान रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं करने से इन्कार कर दिया व प्रार्थी की भूमि कुछ समय बाद खाली करने का कहा। भू.अ. निरीक्षक की फर्द मौका सीमांज्ञान रिपोर्ट दिनांक 11.04.2022 की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थी ने हल्का पटवारी ने जो फर्द मौका रिपोर्ट तहसील कार्यालय में पेश की उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 14.02.2023 को प्राप्त की व उक्त सीमांज्ञान फर्द मौका रिपोर्ट के मुताबिक अपने खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि पर से अतिक्रमण हटाकर प्रार्थी को सौंपने का निवेदन दिनांक 07.05.2023 को किया व भविष्य में प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि में नाजायज अतिक्रमण न करने का निवेदन किया तो अप्रार्थिनी ने दिनांक 07.05.2023 को साफ तौर से इन्कार कर दिया । अप्रार्थिनी ने प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 837 तादादी 0.2200 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा कर रखा है तथा अतिक्रमित भूमि को नाजायज रूप से उपयोग व उपभोग कर नाजायज लाभ प्राप्त कर रही है। अतिक्रमित भूमि पर से अप्रार्थिनी को बेदखल करवाये जाने के अलावा अन्य कोई विकल्प प्रार्थी के पास नहीं बचा है। अप्रार्थिनी व उसके परिवार वाले प्रार्थी को बराबर धमकियां दे रहे है कि उसके कब्जा काश्त की भूमि पर जो नाजायज कब्जा कर रखा है उसको नहीं हटायेंगे, प्रार्थी जो कि अप्रार्थिनी का बलपूर्वक मुकाबला करने में असमर्थ है। अप्रार्थिनी ने प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 837 की सम्पूर्ण 0.2200 हैक्टेयर भूमि गत एक वर्ष से अधिक समय से दबाकर फसल काश्त कर उपयोग व उपभोग में ले रही है जिससे सालाना 50,000/– रुपये से अधिक लाभ प्राप्त कर रही है व प्रार्थी को प्रति वर्ष करीब 50,000/– रुपये का नुकसान करती आ रही है। प्रार्थी ने अप्रार्थिनी को कहा कि अब आप मेरी भूमि को काश्त नहीं करें तब अप्रार्थिनी व उसके परिवार वाले आवेश में आ गये व प्रार्थी को धमकी दी कि हम किसी भी प्रकार से आपके खेत की दबी हुई भूमि को नहीं छोड़ेंगे व हम तो बलपूर्वक इस वर्ष भी सिंचित फसल काश्त करके ही रहेंगे, ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पास अप्रार्थिनी के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाये जाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है। प्रार्थी वादगत खेत खसरा नम्बर 837 तादादी 0.2200 हैक्टेयर वाकेरोही उदरासर का खातेदार काबिज काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है । अप्रार्थिनी व उसके परिवार वाले प्रार्थी को बराबर धमकी दे रहे है कि प्रार्थी के उक्त खेत की भूमि पर से अपना कब्जा काश्त को नहीं हटायेंगे, प्रार्थी जो कि अप्रार्थिनी का बलपूर्वक मुकाबला करने में असमर्थ है। अप्रार्थिनी प्रार्थी के खेत की भूमि पर पिछले एक साल से अतिक्रमण करके प्रार्थी को नुकसानित कर रही है इस प्रकार अपूर्त्यक क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में है । अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थिनी को अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावे कि वो प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 837 तादादी 0.2200 हैक्टेयर वाकेरोही उदरासर की भूमि पर जो नाजायज रूप से अतिक्रमण कर रखा है को बलपूर्वक काश्त नहीं करें व ना ही उसमें प्रवेश करें व ना ही फोग, खींप, पैड़ आदि काटे ना ही हल चलाकर काश्त करें व ना किसी प्रकार से जबरन उपयोग उपभोग में लेवे

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.03 12:43:13 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

ना ही कोई ऐसा कृत्य अथवा अपकृत्य करें जिससे प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पडता हो ।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीनी को नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीनी जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र मय प्रति प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रति प्रार्थना पत्र पेश किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

अप्रार्थीनी अधिवक्ता द्वारा बहस करतें हुए कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित तथ्यों में से खेत खसरा नम्बर 1324 तादादी 4.1670 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 837 तादादी 0.2200 हैक्टेयर रोही मोजा उदरासर प्रार्थी की खातेदारी का होना स्वीकार है, खसरा नम्बर 836 तादादी 0.2400 हैक्टेयर गैर मुमकिन भूमि है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित तथ्यो में से खेत खसरा नम्बर 1233/839 तादादी 5.3100 हैक्टेयर रोही मोजा उदरासर व खसरा नम्बर 1234/839 तादादी 1.6200 हैक्टेयर कुल तादादी 6.9300 हैक्टेयर रोही मोजा उदरासर अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी, कब्जा–काश्त व उपयोग उपभोग का खेत है, उक्त दोनो ही खसरे मोका पर एकल है, उक्त दोनो ही खसरो की सीमा पर अप्रार्थी की पटिटया व तारबंदी लगी हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 ने वादगत खेत को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा दिनांक 06.06.2013 को 5.3100 हैक्टेयर व दिनांक 31.12.2013 को 0.5700 हैक्टेयर व दिनांक 16.02.2016 को 1.0500 हैक्टेयर कुल 6.9300 हैक्टेयर भूमि खरीद की हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 ने पूर्व खातेदार से जिस स्थिति में कब्जा प्राप्त किया, उसी स्थिति में अप्रार्थी के पास कब्जा है। अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1233/839 भूमि के उतरी पूर्वी दिशा में खसरा नम्बर 836 जो गैर मुमकिन सडक है, उक्त सडक ग्राम उदरासर से सुरजनसर को जाती है। अप्रार्थी संख्या 1 के खेत का मुख्य गेट भी उतरी पूर्वी दिशा में खसरा नम्बर 836 पर खुलता है। अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 1233/839 के उतरी पूर्वी दिशा यानि खसरा नम्बर 836 के दक्षिण में खसरा नम्बर 837 तादादी 0.2200 हैक्टेयर गलत तरमीम किया हुआ है । अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी के खसरा की भूमि कतई नही दबाई है । अप्रार्थी संख्या 1 के खेत के चारो तरफ पटिटया रोपकर तारबंदी की हुई है जो खेत खरीद किया उसी समय की पटिटया व तारबंदी लगी हुई है, पटिटयो पर अप्रार्थी संख्या 1 का नाम लिखा हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी की भूमि पर कब्जा नही किया है। प्रार्थी गलत राजस्व रिकार्ड व गलत तरमीम की वजह से इस मद में गलत आरोप लगाये है। पूर्व में हुए सेटलमेंट के दौरान प्रार्थी ने सेटलमेंट व राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत कर खसरा नम्बर 837 तादादी 0.2200 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर 1233/839 में तरमीम करवाई है। जिसकी जानकारी अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थी द्वारा विवाद करने पर हुई है। इसलिये अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा खसरा नम्बर 1233/839 की तरमीम खसरा नम्बर 836 गैर मुमकिन सडक तक करवाने व खसरा नम्बर 837 को सड़क से दक्षिण तरफ से डिलीट करवाने हेतु एक प्रति प्रार्थना पत्र जबाब प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1233/839 व खसरा नम्बर 1234/839 की पैमाईस दिनांक 26.06.2022 को तहसीलदार श्रीडूंगरगढ के आदेश क्रमांक/ भू.अ./201/31–32 दिनांक 14.05.2022 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.03 12:45:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

पालना में की गई। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 का रकबा मौके पर 6.4000 हैक्टेयर ही पाया गया । अप्रार्थी संख्या 1 का रकबा 0.53 हैक्टेयर कम पाया गया। उक्त पैमाईश रिर्पोट से भी स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 837 अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि में तरमीम किया गया है जो गलत है। प्रार्थी ने इस मद में गलत तथ्यो का वर्णन किया है। फलस्वरुप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 में वर्णित तथ्यों से इन्कार किया जाता है । अप्रार्थी संख्या 1 को दिनांक 11.04.2022 क्रमांक संग/1063–1065 दिनांक 07.04.2022 की पालना में की गई मौका पर रिर्पोट की जानकारी नही है। प्रार्थी ने उक्त रिर्पोट बाला–बाला ही अपने हिसाब से राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगती करके तैयार करवाई है जो गलत मौका पर खसरा नम्बर 837 से सडक से दक्षिण तरफ कोई अस्तित्व ही नही है। खसरा नम्बर 836 के ठीक दक्षिण मे खसरा नम्बर 1233/839 स्थित है, मौका पर खसरा नम्बर 837 सडक से दक्षिण तरफ कोई अस्तित्व ही नही है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा भूमि दबाये जाने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। मौका पर अप्रार्थी संख्या 1 की 2 बीघा भूमि कम है, इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा खसरा नम्बर 837 तादादी 0.2200 हैक्टेयर भूमि को दबाये जाने का प्रश्न ही पैदा नही होता है । अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि के चारो तरफ पटिटया रोपकर पत्थरगढी की हुई है। प्रार्थी गलत राजस्व रिकार्ड व गलत तरमीम की आड में अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि पर काबिज होने की चेष्टा में है, प्रार्थी चतुर व चालाक किस्म का व्यक्ति है जिसने राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत कर खसरा नम्बर 837 को सडक के खसरा नम्बर 836 के दक्षिण में तरमीम करवाया है जो मौका की वास्तविक वस्तुस्थिति के विपरित है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 में वर्णित तथ्यो से पूर्णतया इन्कार किया जाता है। प्रार्थी ने बाला–बाला ही गलत पैमाईस रिर्पोट तैयार करवाई है, जिसकी कानून की नजर में कोई अहमियत नही है। प्रार्थी दिनांक 05.07.2023 को ना तो अप्रार्थी संख्या 1 से मिला और ना ही कोई बातचीत हुई । प्रार्थी ने इस मद में काल्पनिक तथ्यो का वर्णन किया है । अप्रार्थी संख्या 1 ने खसरा नम्बर 837 तादादी 0.2200 हैक्टेयर भूमि को नही दबाया है बल्कि प्रार्थी ने उक्त रकबा अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि पर गलत तरमीम करवाया है । अप्रार्थी संख्या 1 ने कतई कोई भूमि न ही दबाई है बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 स्वंय की 2 बीघा भूमि मौका पर कम है। प्रार्थी को गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर अप्रार्थी को बेदखल करने का अधिकार नही है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो पर आधारित है जो खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 रिकार्डेड खातेदार कृषक है। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी की भूमि पर कभी कोई कब्जा नही किया है, फलस्वरुप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है । प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 में वर्णित तथ्यो से पूर्णतया इन्कार किया जाता है। खसरा नम्बर 837 तादादी 0.2200 हैक्टेयर रोही मोजा उदरासर का मौका पर कोई अस्तित्व नही है । उक्त खसरा प्रार्थी द्वारा मौका की वास्तविक वस्तुस्थिति के विपरित तरमीम [illegible] हुआ है। प्रार्थी का कतई कोई प्रथम दृष्टया मामला बनता है ना ही अपूर्तिक क्षति [illegible] पक्ष में है । अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी को कतई कोई धमकी नही [illegible] संख्या 1 पर खसरा नम्बर 837 तादादी 0.2200 हैक्टेयर भूमि को ग[illegible] कब्जा करने का आरोप लगाया है। परन्तु प्रार्थी के दावा/प्रार्थना पत्र में यह कहीं भी अंकित नही है कि भूमि पर कितनी तारिख, किस माह, किस वर्ष में कितना अतिक्रमण किया है का खुलासा प्रार्थी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.03 12:48:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

दावा/प्रार्थना पत्र में नही है। एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अप्रार्थीनी अधिवक्ता की बहस का खंडन करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया गया एवं निवेदन किया गया कि प्रति प्रार्थना पत्र की मद संख्या 9 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार से वर्णित किये गये है, गलत होने के कारण स्वीकार नही व इन्कार किये जाते हैं। प्रार्थी का उक्त खसरा सदामद से ही सड़क के दक्षिणी तरफ चला आ रहा हैं । उक्त सड़क मार्ग कच्चे मार्ग के रूप में था, फिर उक्त कच्चे मार्ग पर पहले राजस्थान सरकार द्वारा सड़क बना दी गई। उक्त सड़क का खसरा नम्बर 836 है तथा खेत खसरा नम्बर 836 के दक्षिणी तरफ प्रार्थी का खसरा नम्बर 837 है, जो की सदामद से ही चला आ रहा हैं तथा प्रार्थी द्वारा समय समय पर उक्त खसरा को काश्त भी किया जाता रहा हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त खसरा की सीमाओं पर सीमाकंन रूप में पटियों के टुकड़े भी लगा रखे हैं, जिनको भी अप्रार्थिनी व उसके पुत्रो द्वारा उखाड़ कर चोरी कर लिया गया। अप्रार्थिनी व उसके पुत्रो की नियत शुरू से ही खराब थी तथा इसी खराब नियत की वजह से उन्होने प्रार्थी की भूमि को अपने खसरा में मिलने की चेष्ठा की हैं। प्रार्थी का खेत खसरा नम्बर 837 सदामद से ही उक्त रास्ते (सड़क) के दक्षिणी तरफ चला आ रहा है, जो कि नक्शा अक्स से साबित हैं। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थिनी और उसके पुत्रो को काफी बार समझाया तथा निवेदन किया गया कि आप प्रार्थी के खेत खसरा पर कब्जा मत करों, परन्तु अप्रार्थिनी तथा उसके पुत्र राजनैतिक पहूंच रखने वाले प्रभावशाली है तथा इसी कारण उन्होने प्रार्थी की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया जो कि सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांकित 11.04.2022 को साबित हैं। वर्तमान में जमीनों के भाव आसमान छू रहे, इस कारण अप्रार्थिनी और उसके पुत्रो के मन में लालच पैदा हो गया है और इसी लालचवंश अप्रार्थिनी तथा उसके पुत्र अपने खसरा भूमियों को सड़की और स्थापित करवाना चाहते हैं और इस कारण उन्होने प्रार्थी की भूमि पर जबरदस्ती राजनैतिक और लाठी के बल पर कब्जा कर लिया । प्रार्थी का खेत खसरा नम्बर 837 शुरू से ही सड़क के दक्षिणी तरफ स्थित हैं, इस कारण अप्रार्थिनी को कोई अधिकार प्राप्त नही है कि वो प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 837 को सड़क के उतरी तरफ तरमीम करवाये और ना ही अप्रार्थिनी उक्त प्रति प्रार्थना पत्र के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने में कानूनन सक्षम हैं। इसलिए अप्रार्थिनी का प्रति प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही बल्कि खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रति प्रार्थना पत्र की मद संख्या 10 में वर्णित कथन गलत एवं काल्पनीक होने से स्वीकार नही व इन्कार किये जाते हैं । प्रार्थी सीधा–सादा एवं कानून में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है जबकि अप्रार्थिनी और उसके पुत्र राजनैतिक रूप से प्रभावशाली तथा झगड़ालू किस्म के व्यक्ति है, जो कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर जबरदस्ती लाठी के बल पर कब्जा कर अपनी भूमि में मिलाने की कुचेष्ठा में हैं । प्रार्थी खसरा नम्बर 837 का रिकोर्डेड खातेदार काबिज कृषक हैं, अप्रार्थिनी का खेत खसरा नम्बर 837 से कोई संबंध अथवा सरोकार नही हैं, अप्रार्थिनी ... पर है तथा मुताबिक कानून रिकोर्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया जा सकता हैं तथा ना ही रिकोर्डेड खातेदार के विरूद्व किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त किया जा सकता हैं। इसलिए अप्रार्थिनी का प्रति प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं। अप्रार्थिनी खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.03 12:43:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

खेत खसरा नम्बर 1233/839, 1234/839 उतरी सीमा खेत खसरा नम्बर 836 गैरमुमकिन सड़क तक नही है, बल्कि अप्रार्थिनी के खेतो की उतरी सीमा प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर नम्बर तक ही है। जो राजस्व रिकार्ड के अनुसार सावित हैं। अप्रार्थिनी का प्रार्थी की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 837 पर जरबस्दती एवं नाजायज रूप से अतिक्रमी के तौर पर कब्जा है जो की सीमाज्ञान रिपोर्ट से सावित हैं। जिसको वेदखल करवाने का प्रार्थी को कानूनी रूप से अधिकार हासिल हैं । अप्रार्थिनी को प्रार्थी के मुकावले कोई भी अपूरणीय क्षति नही हो रही हैं। बल्कि अप्रार्थिनी द्वारा प्रार्थी के खातेदारी भूमि पर रूप से कब्जा करने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित हो रही हैं। जिसकी पूर्ति किसी भी रूप से सम्भव नही हैं। एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तादावा फैसला मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। मूलवाद में पूर्ण सुनवाई के उपरान्त ही हको का निर्धारण किया जाना उचित प्रतीत होता है। लिहाजा उभयपक्षकरान तादावा फैसला मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे।

आदेश आज दिनांक 12.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.09.03 12:43:13 IST
Reason: SelfAttested